न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

प्रकीर्ण वाद संख्या–4934 / 2022

अभिमन्यु सिंह **बनाम** फ्लिपकार्ट इंटरनेट बिल्डिंग लिमिटेड एवं अन्य।

अंतर्गत धारा–156 (3) दं0प्र0सं0,
थाना–गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

10–10–2022

पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–156 (3) दं0प्र0सं0 पर पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थी अभिमन्यु सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षीगण फ्लिपकार्ट इंटरनेट बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा प्रबंध निदेशक, कल्याण कृष्णामूर्ति, हाईडटेल रिटेल्स सेल्स द्वारा प्रबंध निदेशक, लुमिनरी लाइफ स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध थाना गोमतीनगर विस्तार, जनपद लखनऊ प्राथमिकी दर्ज कराकर विवेचना का आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, थानाध्यक्ष गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छाया प्रति, रजिस्ट्री की रसीदों की छाया प्रतियां, टैक्स इनवाइस की छाया प्रति, ई.मेल की छाया प्रतियां, अन्य मुकदमें पंजीकृत होने की छाया प्रति, एवं विधि व्यवस्थाओं की छाया प्रतियां, स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति, इत्यादि प्रपत्रों को दाखिल किये गये हैं।

संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी। संबंधित थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थना–पत्र के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र में किये गये अभिकथनों तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखों का अवलोकन किया। उक्त प्रपत्रों के अवलोकन से विपक्षीगण के द्वारा प्रथम दृष्टया संज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित होना दृष्टिगत होता है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस से विवेचना कराकर साक्ष्य संकलित किया जाना उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–156(3)दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष गोमतीनगर विस्तार, जनपद लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना की कार्यवाही सम्पादित करें और विवेचना के परिणाम से न्यायालय को अवगत करायें।

थानाध्यक्ष, गोमतीनगर विस्तार, जनपद लखनऊ धारा–157 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि न्यायालय में अंदर दस दिवस भेजना सुनिश्चित करें।

10/10/22

(रवि कुमार गुप्त)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखनऊ।

दिनांक 10.10.2022

प्रमाणित प्रतिलिपि

जिला एवं सत्र न्यायालय
लखनऊ

11/10/2022